# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक
(भगवान सहाय शर्मा, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

पत्रावली संख्याः– 19/2011
प्रविष्टि दिनांकः– 21.04.2011

ओमप्रकाश पुत्र मदन जाति खटीक निवासी माताजी चौराहा, रावता कालोनी, राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0

..... प्राथी

बनाम

तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

..... प्रतिपक्षी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956**

उपस्थितः (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक.. प्रार्थी

## निर्णय

दिनांक 09.07.2015

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 98 रकबा 5.96 है. सिवायचक बंजड वाके ग्राम राजमहल तहसील देवली जिसमें बरसो से प्रार्थी के मकान, बाडे बने हुए है तथा दुकाने बना रखी है एवं हनुमानजी के मंदिर व दुकाने बनी हुई है, इस स्थान की राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों न बिना सक्षम न्यायालय के आदेश से गलत तरमीम करदी उसके आधार पर तहसीलदार प्रार्थी को मौके पर से बेदखल करने पर आमादा है। अतः तहसीलदार देवली के यहां विचाराधीन प्रकरण से संबंधित पत्रावली को तलब कर प्रकरण की जांच करवाई जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण न्यायालय हाजा में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिपक्षी की तलबी जरिये नोटिस की गई एवं प्रार्थना पत्र पर बिन्दुवार टिप्पणी भिजवाने हेतु तहसीलदार देवली को लिखा गया। किन्तु कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि ख0नं0 96 में प्रार्थी के गत कई वर्षो से बाडे व मकान बने हुए है, दुकाने बना रखी है एवं हनुमानजी के मंदिर व दुकाने बनी हुई है। इस स्थान की तरमीम बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अन्य लोगो के पक्ष में गैर खातेदारी का नामान्तकरण खोलकर बिना कब्जे के तरमीम करदी जबकि मौके पर कब्जा प्रार्थी का चला आ रहा है। उक्त तरमीम पर भू–अभिलेख अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। इस तरमीम की आड में प्रतिपक्षी प्रार्थी को उसके मकानात व बाडो से जबरन बेदखल करना चाहते है जबकि प्रार्थी का पुराना कब्जा है, प्रार्थी राज्य सरकार के परिपत्रों के अनुसरण में अपने हक में आवण्टन करवाने का हकदार है। उक्त ख0नं0 98 में अवैध

425

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

रूप से तरमीम करते हुए उसकी खातेदारी एक कन्जर के नाम करदी जिसने नाजाईज रूप से एक मंदिर के नाम रजिस्ट्री करवादी जो धर्मार्थ करवायी गई है जबकि उक्त भूमि सिवायचक भूमि है, मौके पर मकानात बाडे व हनुमानजी के मंदिर की दुकाने बनी हुई है, इस सम्बन्ध में तहसीलदार देवली द्वारा दिनांक 18.01.2005 को एक रिपोर्ट भी दी गई है उक्त भूमि के नियमन/आवंटन के लिए प्रार्थी ने कई बार तहसीलदार के यहां निवेदन किया किन्तु कोई सुनवाई नहीं की गई। अतः तहसीलदार देवली के यहां से उपरोक्त वर्णित भूमि से संबंधित पत्रावली को तलब कर प्रकरण की जांच करवाई जावे।

4. हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस को सुना एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नायब तहसीलदार देवली द्वारा तहसीलदार देवली को प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 18.01.2005 अनुसार ग्राम राजमहल की आराजी ख0नं0 98 रकबा 5.96 है0 में से 1.63 है0 भूमि बीसलपुर परियोजना की पुर्नवास कालोनी हेतु आवण्टित हुई तथा ख0नं0 4453/98 रकबा 0.50 है0 आवण्टन होने से नामान्तकरण संख्या 466 में बन्ना पुत्र हवालिया कंजर के नाम गैर खातेदारी में दर्ज हुआ एवं ख0नं0 267 में जोरा पुत्र हवालिया कंजर के नाम गैरखातेदारी में दर्ज हुई। उक्त खसरा नंबरो को पटवारी के पास उपलब्ध नम्बरो में तरमीम की हुई परन्तु नक्शे पर तरमीम करने वाले भू.अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर नहीं है। आ0ख0नं0 4454/98 में मौके पर हनुमान जी एवं महादेव जी का मंदिर बना हुआ है तथा शेष भूमि पडत पडी हुई है। प्रार्थी का कथन है कि विवादित भूमि ख0नं0 98 रकबा 5.96 है. में बरसो से प्रार्थी के मकान, बाडे, हनुमानजी का मंदिर व मंदिर की दुकाने बनी हुई है, इस स्थान की गलत तरमीम करदी गई। प्रार्थी का बरसो से उक्त भूमि पर कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थी की कोई सुनवाई नहीं की गई। अतः उक्त सभी तथ्यों के आधार पर प्रकरण तहसीलदार देवली को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

## आदेश

5. फलतः उपरोक्त विवेचनों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देवली को निर्देशित कियाजाता है कि उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विवादित भूमि के संबंध में प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर नियमानुसार कार्यवाही करें।

6. निर्णय आज दिनांक 09.07.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवान सहाय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)



Scanned by CamScanner